न्यायालयः— प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी राघौगढ़ जिला गुना (म0प्र0)

रजिस्ट्रेशन नंबर :— 600/2022
फाइलिंग नंबर :— 1393/2022
सी.एन.आर. क्रमांक — MP0805-001528-2022
संस्थित दिनांक :— 13.10.2022

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा,
थाना प्रभारी पुलिस थाना धरनावदा जिला गुना म.प्र.

.....**अभियोजन**

विरुद्ध

वीरेन्द्र पुत्र मूलंचद चंदेल आयु—39 वर्ष, व्यवसाय मजदूरी,
निवासी—नारोनी रूठियाई थाना धरनावदा जिला गुना म0प्र0

.....**अभियुक्त**

पुलिस थाना धरनावदा, के अपराध क्रमांक 302/22 अपराध अंतर्गत धारा 34 (1)(क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 से उद्भूत प्रकरण।

//निर्णय//
(आज दिनांक 13.10.2022 को घोषित)

01. अभियुक्त पर म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1)(क) के तहत् आरोप है कि उसने दिनांक 30.08.2022 दोपहर 03:00 बजे स्थान बघेल ढाबा के पास नदी तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर रूठियाई थाना धरनावदा जिला गुना में बिना वैद्य अनुज्ञप्ति के 06 देशी शराब के क्वाटर मादक द्रव्य अपने आधिपत्य में रखा।

02. प्रकरण में उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा अपराध करना स्वीकार किया गया है।

03. संक्षिप्त में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 30.08.2022 को थाना धरनावदा के सहायक उपनिरीक्षक रामगोपाल सिंह तोमर

न्यायालय चांचौडा में साक्ष्य देने के उपरांत बस स्टैंड रूठियाई पहुंचा जहां पर उसे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि बघेल ढाबा के आगे बायपास पुलिया के पास नदी की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर सफेद प्लास्टिक के थैले में एक व्यक्ति देशी शराब के क्वाटर रखे हुये बेचने के लिये खडा है। इस संबंध में उसके द्वारा चौकी रूठियाई से आरक्षक रघुकुल तिलक को तलब किया गया और स्वतंत्र साक्षी माखन पुत्र मेहरवान तथा मनीष पुत्र पूरन को मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर के बताये गये स्थान पुलिया पर पहुंचा तो वहां पर एक व्यक्ति खडा मिला जिसने पुलिस को देखते ही दौड लगा दी। उक्त व्यक्ति को साक्षीगण की मदद से घेरकर पकडा गया और थैले में रखे सामान के संबंध में पूछा तो उसने देशी शराब के छह क्वाटर बेचने के लिये रखा होना बताया गया। उक्त थैले को खोलकर देखा तो उसमें देशी प्लेन मदिरा के छह क्वाटर मिले। उक्त व्यक्ति से शराब बेचने के संबंध में लाईसेंस चाहा तो उसने न होना बताया।

04. मौके पर ही अभियुक्त से थैला सहित शराब के 06 क्वाटर जब्त कर जब्ती पत्रक तैयार किया गया एवं अभियुक्त को नोटिस देकर रवाना किया गया। थाना वापिसी पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 34 (1)(क) आबकारी अधिनियम के तहत् प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना धरनावदा के अपराध कमांक 302/22 पर पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धारा में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

05. निर्णय के पद कमांक 1 मे वर्णित अपराध की विशिष्टियां अभियुक्त को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर उसके अपराध करना बिना किसी भय, दवाब या लालच के स्वेच्छया स्वीकार किया तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों को भी स्वीकार किया। अभियुक्त को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि वह संस्वीकृति करने के लिये बाध्य नहीं है। यदि वह संस्वीकृति करता है तो उसके द्वारा की गई संस्वीकृति उसके विरूद्ध पढी जा सकेगी और उसके आधार पर उसे दोषसिद्ध साबित किया जा सकेगा। इसके

उपरांत भी अभियुक्त द्वारा अपराध भी स्वेच्छया संस्वीकृति की गई। अतः अभियुक्त की स्वेच्छया संस्वीकृति के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है।

06 प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है किः—

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 30.08.2022 दोपहर 03:00 बजे स्थान बघेल ढाबा के पास नदी तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर रूठियाई थाना धरनावदा जिला गुना में बिना वैद्य अनुज्ञप्ति के 06 देशी शराब के क्वाटर मादक दृव्य अपने आधिपत्य में रखा ?

:: **सकारण निष्कर्ष** ::

विचारणीय प्रश्न कमांक 1

07. अभियुक्त वीरेन्द्र चंदेल को निर्णय के पैरा 1 में वर्णित अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनायी व समझायी जाने पर उसने अपराध करना स्वीकार किया है और अभियुक्त ने अपराध स्वेच्छयापूर्वक स्वीकार किया है। अभियुक्त ने आरोपित अपराध को बिना किसी भय, दबाव या लालच के किया जाना स्वेच्छयापूर्वक स्वीकार किया है और न्यायालय अभियुक्त की अपराध की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति से संतुष्ट है। तदानुसार अभियुक्त की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियोजन साक्ष्य को आहूत नहीं किया गया और अभियुक्त की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर उसके विरुद्ध धारा 34 (1)(क) आबकारी अधिनियम का अपराध संदेह से परे प्रमाणित होने के कारण उसे उक्त अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों एवं कारित किये गये अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

08. तद्नुसार अभियुक्त को धारा 34 (1)(क) आबकारी अधिनियम के तहत् की गई दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप 1000/— रुपये के अर्थदण्ड तथा

न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि के अदायगी के व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त 07 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भोगने का दायी होगा।

09. अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण के अन्वेषण, जांच एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई कुल अवधि **निरंक** है। इस संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के अधीन प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न की जाये।

10. प्रकरण में जप्तशुदा 06 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे और अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार व्ययन किया जावे।

11. अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(प्रीति परिहार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
राघौगढ़, जिला–गुना (म.प्र.)

(प्रीति परिहार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
राघौगढ़, जिला–गुना (म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
सकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य